भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. +1255

सोमवार, 10 फरवरी, 2020/21 माघ 1941 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

आन्ध्र प्रदेश और झारखंड में 'प्रसाद' योजना का कार्यान्वयन

+1255.श्री कुरुवा गोरांतला माधव:

श्री संजय सेठ:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या आंध्र प्रदेश और झारखंड में सरकार के राष्ट्रीय तीर्थाटन संरक्षण और अध्यात्म अभिवृद्धि अभियान (प्रसाद) का कार्यान्वयन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश और झारखंड सरकार ने 'प्रसाद' योजना के अंतर्गत कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है और उसके क्या परिणाम रहे हैं; और

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री प्रह्लाद सिंह पटेल)

(क) से (ड.): तीर्थ स्थान जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद) योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश और झारखंड राज्य के लिए अनुमोदित परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:

क. आंध्र प्रदेश

(i) वर्ष **2015- 16** में **28.36** करोड़ रुपए की लागत से अमरावती शहर, गुंटूर जिले के पर्यटक गंतव्य के रूप में विकास को स्वीकृति दी गई थी । अभी तक **22.69** करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है । वर्तमान में इस योजना को पूरा कर लिया गया है ।

(ii) वर्ष **2017-18** में, **47.45** करोड़ रुपए की लागत से **"श्रीसैलम** मंदिर के विकास**"** को स्वीकृति दी गई थी । अभी तक **37.96** करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है । इस योजना को फरवरी **2020** के अंत तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है ।

ख. झारखंड

(i) वर्ष **2018-19** में **39.13** करोड़ रुपए की लागत से **"**बैद्यनाथजी धाम, देवघर के विकास**"** को स्वीकृति दी गई । वर्तमान में परियोजना की भौतिक प्रगति लगभग **20%** है ।

यह सूचित किया जाता है कि प्रशाद योजना के अंतर्गत परियोजनाएं प्रस्तुत करना एक सतत प्रक्रिया है । इस योजना के तहत विकास हेतु परियोजनाओं की पहचान राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के परामर्श से की जाती है और निधियों की उपलब्धता, उपयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की प्रस्तुति, योजना दिशा-निर्देशों के अनुपालन और पूर्व में जारी निधियों की उपयोगिता की शर्त पर उन्हें स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

****